न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 18/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/18)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बलकरण सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरदीप सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।		1. चरणजीत कौर पत्नी सतवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. शिवराज सिंह पुत्र धाना सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. सतवीर सिंह पुत्र धाना सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 4. अमनीत सिंह पुत्र लखमण सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 5. कुलदीप सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 6. जसवंत सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 7. रणजीत कौर पत्नी इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 8. कलवन्त सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 9. बलराज सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 10. मलकीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 11. रणजीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 12.02.2024

उपस्थित:1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

—निर्णय—

दिनांक:28.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 37/28 के मुरब्बा नम्बर 45, 46, 47, 53/41 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 04/02 के मुरब्बा नम्बर 27, 45, 47, 53/46 की कुल 5.565 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 68/60 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 2.402 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादीगण अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के साथ मौखिक बंटवारा कर रखा है। मौखिक बंटवारा अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त चक 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 के 8 बिस्वा, किला नम्बर 22 ता 25 सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 17 के 8 बिस्वा, किला नम्बर 18 सालम, मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 15 ता 25 सालम-सालम कुल 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर है। वादीगण का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की वारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 37/28 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

मुरब्बा नम्बर 45, 46, 47, 53/41 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 04/02 के मुरब्बा नम्बर 27, 45, 47, 53/46 की कुल 5.565 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 68/60 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 2.402 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के कब्जाकाश्त अनुसार मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 के 8 बिस्वा, किला नम्बर 22 ता 25 साबत साबत, मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 17 के 8 बिस्वा, किला नम्बर 18 साबत, मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 15 ता 25 साबत साबत कुल 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस समन जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब दावा पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दु कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहता है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 37/28 के मुरब्बा नम्बर 45, 46, 47, 53/41 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 04/02 के मुरब्बा नम्बर 27, 45, 47, 53/46 की कुल 5.565 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 68/60 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 2.402 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण बलकरण सिंह(2.197 हैक्टेयर), हरदीप सिंह(1.945 हैक्टेयर) के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादी अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 37/28 के मुरब्बा नम्बर 45, 46, 47, 53/41 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 04/02 के मुरब्बा नम्बर 27, 45, 47, 53/46 की कुल 5.565 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 68/60 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 2.402 हैक्टेयर भूमि में से बलकरण सिंह व हरदीप सिंह की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	बलकरण सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (2.130 हैक्टेयर) हरदीप सिंह पुत्र गुरनेक सिंह	12 ओ	28	16 17 18 19 20	0.013 हैक्टेयर 0.013 हैक्टेयर 0.013 हैक्टेयर 0.012 हैक्टेयर 0.006 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.12 0.12 0.12 0.11 0.05

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

	जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (1.877 हैक्टेयर)			21	0.120 हैक्टेयर	नहरी	1.07
				22	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				23	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				24	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				25	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
			45	17	0.102 हैक्टेयर	नहरी	0.91
				18	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
			46	15	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.69
				16 ता 20	1.265 हैक्टेयर	नहरी	11.25
				21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				22	0.214 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				23	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				24	0.214 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते